न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–डॉ अमित यादव, आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 43/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/244

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थीगण**
रूपाराम पुत्र श्री देवाराम जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी टुंकलिया तहसील मेडता जिला नागौर, राजस्थान		1. अर्चना चौधरी, पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मेडता सिटी जिला नागौर। 2. सुखाराम पुत्र प्रतापराम 3. भंवरूराम पुत्र सुखाराम 4. किसनाराम उर्फ जगदीश पुत्र भैराराम जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासीगण टुंकलिया तहसील मेडता जिला नागौर, राजस्थान। 5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार मेडता। 6. पटवारी हल्का धनापा तहसील मेडता जिला नागौर। 7. उप पंजीयक मेडता

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री मोतीलाल ईनाणिया।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत अप्रार्थी संख्या 4 की ओर
3. राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

आदेश **दिनांक–13.02.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मेडतासिटी के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व मूल वाद संख्या 140/2023 व राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 175/2023 बअनवान रूपाराम बनाम सुखाराम व अन्य की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जबाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.02.2024 को पेश कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 की पीठासीन अधिकारिता के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता सिटी में एक दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाडा' व स्थायी व्यादेश इत्यादि का वाद व अस्थायी व्यादेश का आवेदन प्रस्तुत किया, जो बअनवान रूपाराम बनाम सुखाराम व अन्य के नाम से विचारित हो रहा है। जिनके प्रकरण संख्या क्रमशः 140/2023 व 175/2023 है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 13.09.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में बहस हुई, जिस पर बहस होने के पश्चात प्रार्थी से पूर्व भू अभिलेख निरीक्षक मिश्रीलाल रेगर निवासी मेडता सिटी आकर मिला व मुझ से कहा कि मैडम (पीठासीन अधिकारी) 70 हजार रूपये स्टे के मांग रही हैं, जिस पर मैंने कहा कि मैं गरीब काश्तकार व्यक्ति हूँ तथा मेरे पास इतने रूपये नही है, जिसपर पूर्व भू अभिलेख निरीक्षक मिश्रीलाल रेगर जो स्वयं को कथित मैडम का बिचौलिया बताता है, ने कहा कि रूपये नही दोगे तो फाईल में खराबा करवा देंगे। तत्पश्चात दूसरे दिन पत्रावली में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किये बिना ही उक्त प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.10.2023 नियत कर दी एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक

कलक्टर नागौर

17.10.2023 को भी न तो सम्मन जारी किये और न ही पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई की, इसलिए मुझे पूरा संदेह है कि अप्रार्थी संख्या 1 इस प्रकरण में किसी प्रकार का न्यायसंगत निर्णय पारित नही करवा पायेगी, क्योकि उसके बिचौलिये के द्वारा प्रार्थी से राशि की मांग की गई, उसकी मांग प्रार्थी द्वारा पूरी नही करने पर स्थगन आदेश पारित नही किया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार की न्याय की कोई उम्मीद नही है।

विवादित भूमि को संरक्षित करना व प्रिजर्व करना विचारण न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य होता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी यही सौपान रहा है। मगर बिचौलिये मिश्रीलाल के कथनानुसार 70 हजार की रकम प्रार्थी द्वारा नहीं देने पर विवादित भूमि को प्रिजर्व रखने के संबंध में कोई समुचित आदेश पारित नही किया गया है। जिससे प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति व असुविधा हो रही है तथा किसी भी वक्त विवादित भूमि से बेदखली, कब्जा, अतिचार सहित अवैध अनाधिकृत अंतरण हस्तान्तरण होने की प्रबल सम्भावना है। मौके परकब्जा प्रार्थी का होने सहित महत्वपूर्ण तात्विक तथ्य प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 को बता दिये थे, मगर उनको नही मानकर अधीनस्थ न्यायालय की पीठासीन अधिकारी सम्भवतः अपने बिचौलिये मिश्रीलाल से राशि नही मिलने की वजह से स्थगन आदेश पारित नही किया है और अब इस प्रकरण फिजूल के आदेश अथवा अनर्थ करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नही है।

प्रार्थी को उक्त मिश्रीलाल व अप्रार्थी संख्या 1 के कृत्य से पूरी आशंका है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा येन केन प्रकारेण उक्त प्रकरण का बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये ही मनमर्जी पूर्ण निर्णय पारित करने पर आमादा है। यदि ऐसा किया गया तो प्रार्थी के साथ भारी अन्याय होगा तथा उसको अपूर्णिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई के लिए मुन्तकिल किया जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी यह कहता है कि सबको सुनवाई का अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। इसलिए उक्त प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई। लिखित बहस में भी प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अन्य न्यायालय में मुतंकिल किये जाने का निवेदन किया हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त प्रार्थना–पत्र पर बिन्दूवार टिप्पणी प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 4 का दौराने बहस कथन हैं कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी मेड़तासिटी में गलत, झुठे और मिथ्या तथ्यों के आधार पर खातेदारी घोषणा वगैरा का दावा पेश कर रखा है। स्थगन आदेश पारित करने के आदेश के संबंध में पूर्व भू0अभिलेख निरीक्षक मिश्रीलाल पर प्रार्थी को स्टे के लिये पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्तर हजार रूपये मांगने की बात कही हो और अपने आप को मिश्रीलाल ने उपखण्ड अधिकारी मेड़ता का बिचोलिया बताया हो। दिनांक 17.10.2023 की पेशी के सम्मन जारी नही करने वगैरा तमाम तथ्य गलत व झूठे पेश किये है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रहती रही है एवं राजस्व रिकोर्ड खतौनी में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी उत्तरदाता किशनाराम उर्फ जगदीश की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की यह भूमि कभी भी नही रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड देखकर इकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करना उचित समझकर वाद में दर्ज प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये जो सर्वथा उचित आदेश था। रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर और अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर प्रार्थी को पूर्ण रूप से सुनकर नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये थे। यदि प्रार्थी अस्थाई नषेधाज्ञा आदेश से असन्तुष्ट था तो उसे अपील न्यायालय में कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार था व है मगर उसने ऐसा नहीकर पीठासीन अधिकारी पर झुठे व बेबुनियाद आरोप लगाकरमाननीय न्यायलय के समक्ष मुन्तकिल आवेदन प्रस्तुत किया जोअसर्वथा गलत पेश किया गया है। यह है कि अनुच्छेद संख्या 3 गलत है अस्वीकार है। यह गलत हैकि प्रत्येक प्रकरण में विवादित भूमि को संरक्षित करना विचारणन्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य हो । प्रथम दृष्टया मामला बनने परही ऐसा किया जा सकता है चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खातेदारीकब्जे काश्त की कभी नही रही है बल्कि अप्रार्थी उत्तरदाता केखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय नेइकतरफा में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना उचित नहीसमझा जो पूर्णतया सही आदेश रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशपारित करना न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

का विवेकाधीन अधिकार है। प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई अपूर्णीय क्षति एवं असुविधा नही हो रही है न उसका कब्जा कभी रहा है। जब उसका कब्जा ही नही है तो अप्रार्थी के बेदखली का प्रश्न ही नही उठता। जिस व्यक्ति का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही हो उसके पक्ष में अस्थाई या स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अप्रार्थी का रहा है एवं कब्जाधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में केवल मात्र झूठे संदेह एवं आशंका को प्रकट किया है तथा जिस मिश्रीलाल पर प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये है उसको मुन्तकि लप्रार्थना पत्र में पक्षकार तक नही बनाया है ऐसे में यह आवेदन चलने योग्य नही है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील राजपेरोकार का कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी को न्यायालय में विधिवत पैरवी कर न्यायालय में आगामी कार्यवाही की जानी चाहिऐ अभी प्रकरण वर्तमान तलब/जबाब की स्टेज पर हैं, इसलिए प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता के प्रस्तुत वाद संख्या 140/2023 अन्वान रूपाराम बनाम सुखाराम की आदेशिका अनुसार यह वाद दिनांक 13.09.2023 को दायर किया गया तथा इस प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.01.2024 रही हैं। इस वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी रूपाराम द्वारा पेश किया गया हैं, इस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश की मांग किये जाने पर उनको एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने तथा दिनांक 13.09.2023 को उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज कर गैर सायल को वास्ते जबाब देही तलब किया गया हैं।

इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय स्थगन ओदश की मांग किये जाने पर एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित नहीं करने से पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में हमारी राय यह हैं कि अभी प्रकरण प्रथम स्टेज पर हैं तथा एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया जाना या फिर जारी नहीं किया जाना यह पीठासीन अधिकारी के विवेकाधिकार का विषय हैं। प्रार्थी मांग अनुसार न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से इस प्रकार के पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाये जाने से प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बाबत् मुंतकिल किये जाने प्रकरणों का खारिज किया जाता हैं तथा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता को निर्देश दिये जाते हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 175/2023 अन्वान रूपाराम बनाम सुखाराम का नियमानुसार निस्तारण 06 माह की अवधि में किया जावें।

आदेश आज दिनांक 13.02.2024 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर